वर्षा पात वाली श्रेणी	प्रभाग/राज्य का नाम	देश के क्षेत्र का प्रतिशत
150 से0 मी0 से अधिक	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप, अरूणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय तटीय कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, केरल कोंकण तथा गोवा, मणिपुर, मिरोरम, नागालैंड, उप-हिमालयी क्षेत्र पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम, त्रिपुरा	15%

(ग) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को आपस में जोड़कर तथा क्षमता स्थलों पर जलाशयों का निर्माण करके जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले वेसिनों में जल का स्थानांतरण करना शामिल है।

वर्षा जल का उपयोग

1816. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्षा स्रोत से 4000 घन किलोमीटर –जल प्राप्त होता है;

(ख) यदि नहीं , तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इसमें से 80% जल बिना उपयोग के नदियों द्वारा बह कर समुद्र में चला जाता है; यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या आकलन किया है; और

(घ) ऎसे जल का उपयोग करने के लिए सरकार की दीर्घकालीन योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश में वर्षापात सहित 4000 विलियन घन मीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसमें मौसमी वर्षाआ (जून से सितम्बर) की मात्रा 3000 विलियन घन मीटर है। जिसमें से नदियों से उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह की मात्रा 1869 विलियन घन मीटर है। वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों, जिसकी मात्रा लगभग 452 विलियन घन मीटर है के अतिरिक्त स्थलाकृत, जल वैज्ञानिक और अन्य प्रतिबंधों के कारण उपयोज्य सतहो जल की मात्रा 690 विलियन घन मीटर आंकी गयी है। वाष्पन और वानत्पातिक क्षतियों एवं नदीं क्षेत्र को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित करने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है। इस समय (1994) जल का उपयोग (सतही और भूजल) लगभग 606 विलियन घन मीटर अर्थात 53% है तथा 536 विलियन घन मीटर उपयोग योग्य जल अनुपयुक्त रह जाता है।

(घ) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए वर्षा के जल का उपयोग करने के वास्ते नदियों पर भण्डारणों के सृजन पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को परस्पर जोड़कर अधिशेष जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल के स्थानान्तरण तथा क्षमता पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। यह अनुमान है कि अन्तर-बेसिन स्थानान्तरणॉ के माध्यम से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 220 विलियन घन मीटर अतिरिक्त जल उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगा।

Efforts to resolve water dispute

1817. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister has made any serious efforts to resolve the various water disputes;

(b) if so, the details thereof; .

(c) whether Government propose to resolve such water disputes out of Court's jurisdiction; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) The Central Government endeavours to resolve inter-State water related disputes by encouraging negotiations, constituting Boards for development and regulation of